न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी- 4700/2018/ सिंगरौली/भू.रा.

श्री अमित भार्गव अधि० द्वारा आज दि० 30-7-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-8-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 30-7-18

Abhargava 30-7-18 अमित भार्गव (अधि०)

नशीमुननिशा पुत्री दोस्त मोहम्मद, आयु- 45 साल, निवीस- बैढ़न तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

--आवेदिका

विरुद्ध

1. परवीन बेगम पत्नी मो. हसीब, निवासी-- बैढ़न,
2. फरीद मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद, निवासी-- बैढ़न थाना बैढ़न तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 402/अपील/2017-18 में पारित आदेश पारित दिनांक 24/07/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदिका की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, आवेदिका खसरा क्रमांक 505/8 रकबा 0.025 हे. की

(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4700/18/सिंग/भू.रा., नरसिंह/शासन/परवीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/01/19	आवेदक की ओर से श्री अजित भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 402/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 24/07/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	